रजिस्ट्री सं० डी—(डी एन) 128/91

REGISTERED NO. D—(DN)—128/91

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 22, 1991 (आषाढ़ 1, 1913)

No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 22, 1991 (ASADHA 1, 1913)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 01 जून 1991

भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन नियमावली, 1990

सं० डी०ई० एल० सं०—ईस्ट—/6612/ पेंशन—90/91— भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 58 की उप धारा (2) के खंड (ञ) में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक का केन्द्रीय बोर्ड केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है।

अध्याय—I

प्रारंभिक

1. लघुशीर्षक और प्रारंभ

(1) इस विनियमावली को भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन विनियमावली 1990 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम दिनांक 01 नवम्बर 1990 से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक कोई अन्यथा संदर्भ न हो :—

(1) "अधिनियम" से अभिप्राय भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) से है;

(2) "औसत परिलब्धियां" से अभिप्राय कर्मचारी द्वारा उसकी सेवा के पिछले 10 महीनों के द्वारा आहरित वेतन के औसत से है;

(3) "बैंक" से अभिप्राय भारतीय रिजर्व बैंक से है;

(4) "केन्द्रीय बोर्ड" से अभिप्राय अधिनियम के अधीन गठित बैंक के केन्द्रीय निदेशक बोर्ड से है;

(5) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय वही है जो भारतीय रिजर्व बैंक (स्टाफ) विनियमावली, 1948 में दिया गया है;

(6) "सेवा निवृत्ति की तारीख" से अभिप्राय उस तारीख से है जिस तारीख को कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करता है अथवा बैंक द्वारा सेवा निवृत्त किया जाता है अथवा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्वीकार करता है;

रूपांतरण तालिका

प्रति वर्ष रु० 1 की पेंशन के लिए रूपांतरण मूल्य

अगले जन्म-दिन पर आयु	परचेज वर्षों की संख्या के अनुसार सूचित रूपांतरण मूल्य	अगले जन्म-दिन पर आयु	परचेज वर्षों की संख्या के अनुसार सूचित रूपांतरण मूल्य	अगले जन्म-दिन पर आयु	परचेज वर्षों की संख्या के अनुसार सूचित रूपांतरण मूल्य
1	2	3	4	5	6
17	19.28	40	15.87	63	9.15
18	19.20	41	15.64	64	8.82
19	19.11	42	15.40	65	8.50
20	19.01	43	15.15	66	8.17
21	18.91	44	14.90	67	7.85
22	18.81	45	14.64	68	7.53
23	18.70	46	14.37	69	7.22
24	18.59	47	14.10	70	6.91
25	18.47	48	13.82	71	6.60
26	18.34	49	13.54	72	6.30
27	18.21	50	13.25	73	6.01
28	18.07	51	12.95	74	5.72
29	17.93	52	12.66	75	5.44
30	17.78	53	12.35	76	5.17
31	17.62	54	12.05	77	4.90
32	17.46	55	11.73	78	4.65
33	17.29	56	11.42	79	4.40
34	17.11	57	11.10	80	4.17
35	16.92	58	10.78	81	3.94
36	16.72	59	10.46	82	3.72
37	16.52	60	10.13	83	3.52
38	16.31	61	9.81	84	3.32
39	16.09	62	9.48	85	3.13

टिप्पणी : उपर्युक्त तालिका, पेंशनभोगी के अगले जन्मदिन पर उसकी आयु के संदर्भ में परचेज वर्षों की संख्या के अनुसार सूचित पेंशन का रूपांतरण मूल्य दर्शाता है। 58 वर्षों की आयु में सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में रूपांतरित मूल्य, परचेज वर्ष 10.46 है और अतः यदि वह सेवानिवृत्ति से एक वर्ष के भीतर अपनी पेंशन से रु० 100/- रूपांतरित करता है तो उसे देय एकमुश्त राशि रु० 100×10.46×12 = 12,552 होगी ।

भारतीय स्टेट बैंक

बम्बई, दिनांक 8 जून 1991

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की 36 वीं वार्षिक महासभा 'चौविआ मेमोरियल हाल' 33, प्रशान्त, राजमहल विलास एक्सटेंशन, बंगलूर-560 080 में गुरुवार दिनांक 25 जुलाई 1991 को अपराह्न 4.00 बजे निम्नलिखित कार्य हेतु होगी :—

31 मार्च 1991 तक की केन्द्रीय बोर्ड की रिपोर्ट, बैंक का तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा तथा तुलनपत्र और लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना ।

एम. एन. गोइपोरिया
अध्यक्ष

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून 1991

संख्या ए. 12/11/3/78-स्था०-1, संग्रह-2--कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 17 की उप धारा (2) और धारा 97 की उपधारा (2) तथा उपधारा 2 (क) के खंड (21) के साथ पठित धारा 97 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम इसके द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम ग्रुप "ग" तथा "घ" (पैरा चिकित्सा) पद भर्ती विनियम, 1977 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :--

1. (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम ग्रुप "ग" तथा "घ" (पैरा चिकित्सा) पद भर्ती (संशोधन) विनियम, 1991 कहे जाएंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम ग्रुप "ग" तथा "घ" (पैरा चिकित्सा) पद भर्ती विनियम, 1977 की अनुसूची में :—

क्रम संख्या 62 के बाद तथा इससे संबंधित इन्दराज में निम्नलिखित क्रम संख्या तथा इन्दराज अन्त: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
63 वरिष्ठ भौतिक चिकित्सक	1*	ग्रुप "ग" अराजपत्रित (गैर-लिपिक वर्गीय)	1640–60–2600–द० रो०–75–2900 रुपए

*कार्य के आधार पर घट-बढ़ सकती है।

क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 20 के अधीन स्वीकार्य सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ पद पर लागू है।	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
5	6	7	8
गैर-चयन	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं सरकारी कर्मचारियों और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक की छूट	अनिवार्य : (1) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भौतिक चिकित्सा में डिप्लोमा (2) किसी ख्याति प्राप्त अस्पताल/संस्थान में भौतिक चिकित्सा में लगभग 3 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति/प्रति नियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।
9	10	11	12
नहीं	दो वर्ष (केवल सीधी भर्ती के मामले में)	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति : क० रा० बीमा अस्पतालों में 1400–2300 रु० के वेतनमान से भौतिक चिकित्सक के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा करने पर

विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद होने की स्थिति में उसका गठन	भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की परिस्थितियां
13	14
विभागीय पदोन्नति समिति (1) निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली—अध्यक्ष (2) उप चिकित्सा अधीक्षक राममनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली—सदस्य (3) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल में विकलांग विभाग में विशेषज्ञ —सदस्य	लागू नहीं

टिप्पणी : मूल विनियम भारत के राजपत्र सं० 27 दिनांक 2.7.1977 के भाग 3 अनुभाग 4 अधिसूचना संख्या 1 (1)–3/72 स्था०–1 (संग्रह–2) दिनांक 15.6.1987 द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा इससे पूर्व इनमें निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया था :—

1. सं० ए० 12(11)–3/76–स्था०–1, दिनांक 29-7-78 – राजपत्र संख्या–33 दिनांक 19-8-78 के भाग–3 अनुभाग–4 में प्रकाशित ।
2. संख्या ए० 12 (11)–6/82–स्था०–1(क) दिनांक 11-3-87–राजपत्र संख्या–14 दिनांक 4-4-87 के भाग–3 अनुभाग–4 में प्रकाशित ।
3. संख्या–1 (1)–3/72 स्था:–1(क) संग्रह 4 दिनांक 17–7–87–राजपत्र सं०–33 दिनांक 15–8–87 के भाग 3 अनुभाग 4 में प्रकाशित ।

3. अयोग्यताएं :—

ऐसा कोई व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि निगम के महानिदेशक की यह सन्तुष्टि हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुमेय है तथा ऐसा करने के दूसरे आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के लागू होने से छूट दे सकते हैं ।

4. ढील देने की शक्ति

जहां निगम के महानिदेशक की यह राय है कि ऐसा करना अनिवार्य है या कालोचित है तो वह अध्यक्ष कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पूर्व अनुमोदन के बाद तथा उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके किसी वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकते हैं ।

5. अपवाद :

इन विनियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में ढील तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दूसरे विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है :

श्रीमती कुसुम प्रसाद
महानिदेशक

नई दिल्ली दिनांक 21 मई 1991

सं० यू० 16/53/90–चि०–2 (आंध्र प्रदेश) :—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियाँ प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या : 1024 (जी) दिनांक 23 मई, 1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा सानथनगर के डा० वी० आर० देशपांडे को विद्यमान मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर दिनांक 16–5–91 से 15–5–1992 तक या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक, इनमें से जो पहले हो सानथनगर केन्द्र के बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य-परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता में संदेह होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं ।

दिनांक 4 जून 1991

सं० यू–16/53/90–चि०. 2 (पश्चिमी बंगाल)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या : 1024 (जी) दिनांक 23–5–1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर, मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डाक्टरों को कलकत्ता क्षेत्र [क्षेत्रों का आवंटन उप-चिकित्सा आयुक्त (पूर्वी जोन) द्वारा किया जाएगा] के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य-परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए उनके निम्नलिखित अवधि या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक की अदायगी पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं ।

1. डा० एन० एम० मुखर्जी 16–6–91 से 15–6–92
2. ले० कर्नल (डॉ०) एस० के० दास 1–7–91 से 22–3–92
3. डॉ० एस० के० मुखर्जी 21–7–91 से 20–7–92

डॉ० कृष्ण मोहन सक्सेना
चिकित्सा आयुक्त

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

STATE BANK OF INDIA

Bombay, the 8th June 1991

NOTICE

The Thirty-Sixth Annual General Meeting of the Shareholders of the State Bank of India will be held at "Chowdiah Memorial Hall" 33, Prashanth, Rajmahal Vilas Extension, Bangalore-560 080, on Thursday, the 25th July, 1991 at 4.00 p.m. for the transaction of the following business:

to receive the Central Board's Report, the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank made up to the 31st March, 1991 and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

M. N. GOIPORIA
Chairman

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 3rd June 1991

No. A-12/11/../73-Estt.I Col.II.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 97 read with clause (xxi) of sub-section 2 and sub-section (2A) of the said section and sub section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations to amend the Employees' State Insurance Corporation Group 'C' and 'D' (para-medical) posts Recruitment Regulations, 1977 namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation Group 'C' and 'D' (para-medical) posts Recruitment (amendment) Regulations, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the schedule to the Employees' State Insurance Corporation Group 'C' and 'D' (para-medical) posts Recruitment Regulations, 1977:—

after serial number 62 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely:—

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
63 Senior Phylotherapist	*1 *Subject to Variation dependent on work load.	Group—'C' Non-Gazetted (Non-ministerial)	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900

Whether selection post or non-selection posts.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
5	6	7	8
Non-selection	Not applicable	Not exceeding 35 years. (Relaxable upto 5 years in the case of Govt. servants and employees of the ESI Corporation	ESSENTIAL : (i) Diploma in Physiotherapy from a recognised Institute. (ii) About 3 years' practical experience in physiotherapy in a Hospital/Institute of repute..

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of rectt. whether by direct rectt. by promotion/ deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/ deputation/transfer grades from which promotion/ deputation/transfer to be made.
9	10	11	12
No	Two years (in the case of direct recruitment only).	by promotion failing which by direct recruitment.	PROMOTION : From Physiotherapist working in ESI Hospitals with 5 years' regular service in the grade of Rs. 1400—2300.

If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
13	14
DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE (1) Director (Medical) Delhi . . . Chairman	Not Applicable.

13		14
(2) Dy. Medical Supdt., Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi.	Member	Not Applicable
(3) Specialist in Orthopaedic in ESI Hospital	Member	

NOTE :—The principal regulations were published vide Notification No. 1(1)—3/72-Estt. I (Vol. II), dated 15-6-87 in Part-III, Section-4 of the Gazette of India No. 27, dated 2-7-1977 and it was previously amended vide notification :—

1. No. A-12(11)-3/76-Estt. I, dated 29-7-78 published in Part-III, Section-4 of the Gazettce No. 33, dated 19-8-78.
2. No. A-12(11)-6/82-Estt. I(A), dated 11-3-87, published in Part-III, Section-4 of the Gazette No. 14, dated 4-4-87.
3. No. 1(1)-3/72-Estt. I(A) Col. VI, dated 17-7-87 published in Part-III, Section-4 of the Gazette No. 33, dated 15-8-87.

3. **Disqualification** :

No person—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person :

shall be eligible for appointment to the said post. Provided that the Director General of the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

4. Power to Relax

Where the Director General of the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he/she may, after taking prior approval of the Chairman, Employees State Insurance Corporation, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

5. Savings

Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SMT. KUSUM PRASAD
Director General

New Delhi, the 21st May 1991

No. U-16/53/90/Med.II(A.P.).—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation, at its meeting held on 25th April, 1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulations 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. V. R. Deshpandey of Sanathnagar Centre to function as medical authority w.e.f. 16-5-91 to 15-5-92 or till a full-time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Sanathnagar area at a monthly remuneration as per existing norms, on the basis of number of insured persons for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

The 4th June 1991

No. U-16/53/90-Med.II(W.B.).—In pursuance of the resolution passed at its meeting held on 25th April 1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulations 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024 (G) dated 23rd May 1983, I hereby authorise following doctors to function as Medical Authority for the period as mentioned against each or till a full-time Medical referee joins, whichever is earlier for Calcutta area (West Bengal), Areas to be allocated by the Dy. Medical Commissioner (East Zone), Calcutta on payment of monthly remuneration in accordance with the existing norms for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

1. Dr. N. M. Mukherjee—16-6-91 to 15-6-92.
2. (Lt. Col.) Dr. S. K. Das—1-7-91 to 22-3-92.
3. Dr. S. K. Mukherjee—21-7-91 to 20-7-92.

DR. K. M. SAXENA
Medical Commissioner

New Delhi, the 29th May 1991

No. N-15/13/7/1/91-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16-5-1991 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Karnataka Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Karnataka namely :—

"Area comprising the revenue Village CHIKKAMANDIGANA-HALLY in Hobli Kasaba in Taluk and District Hassan."

The 5th June 1991

No. N-12/13/2/91-P&D.—The following draft amendments to the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 which the Employees' State Insurance Corporation proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 97 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948), as amended,